छत्तीसगढ़ विधान सभा

फरवरी–मार्च, 2021 सत्र

दैनिक कार्य सूची

मंगलवार,दिनांक 23 फरवरी, 2021 (फाल्गुन 4, 1942)

समय 11:00 बजे दिन

1. निधन का उल्लेख

(1) श्री ओम प्रकाश राठिया, छत्तीसगढ़ शासन के पूर्व संसदीय सचिव।

(2) डॉ. भानुप्रताप गुप्ता, अविभाजित मध्यप्रदेश शासन के पूर्व राज्य मंत्री।

(3) श्री लक्ष्मण राम, अविभाजित मध्यप्रदेश शासन के पूर्व संसदीय सचिव।

(4) श्री रोशनलाल, छत्तीसगढ़ विधान सभा के पूर्व सदस्य।

2. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे।

3. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम, आदिम जाति विकास मंत्री, छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जाति आयोग अधिनियम, 1995 (क्रमांक 25 सन् 1995) की धारा 14 की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जाति आयोग का तेरहवां वार्षिक प्रतिवेदन (1 अप्रैल, 2019 से 31 मार्च, 2020 तक) पटल पर रखेंगे।

(2) डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम, सहकारिता मंत्री, छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 (क्रमांक 17 सन् 1961) की धारा 95 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार अधिसूचना क्रमांक एफ 15–30/15–2/2020/1, दिनांक 21 जनवरी, 2021 पटल पर रखेंगे।

(3) डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम, स्कूल शिक्षा मंत्री, छत्तीसगढ़ अशासकीय विद्यालय फीस विनियमन अधिनियम, 2020 (क्रमांक 16 सन् 2020) की धारा 15 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार अधिसूचना क्रमांक एफ 13–03/2014/20–3, दिनांक 7 अक्टूबर, 2020 द्वारा अधिसूचित छत्तीसगढ़ अशासकीय विद्यालय फीस विनियमन नियम, 2020 पटल पर रखेंगे।

(4) श्री मोहम्मद अकबर, परिवहन मंत्री, छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान अधिनियम, 1991 (क्रमांक 25 सन् 1991) की धारा 21 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार अधिसूचना क्रमांक 1491/आर–472/आठ–परि/2020, दिनांक 30 दिसम्बर, 2020 पटल पर रखेंगे।

4. दिसम्बर, 2020 सत्र के समयपूर्व सत्रावसान के कारण बैठक हेतु पूर्व निर्धारित तिथि की मुद्रित प्रश्नोत्तरी का पटल पर रखा जाना

क्रमशः 2

5. दिसम्बर, 2020 सत्र के प्रश्नों के अपूर्ण उत्तरों के पूर्ण उत्तरों के संकलन का पटल पर रखा जाना

6. नियम 267–क के अधीन दिसम्बर, 2020 सत्र में सदन में पढ़ी गई सूचनाओं तथा उनके उत्तरों का संकलन पटल पर रखा जाना

7. राज्यपाल की अनुमति प्राप्त विधेयक की सूचना

8. सभापति तालिका की घोषणा

9. नियम 138 (1) के अधीन ध्यानआकर्षण

(1) श्री धनेन्द्र साहू, सदस्य, नवापारा राजिम में महानदी पर निर्मित एनीकट से लेकर कुलेश्वर मंदिर तक सिल्ट जमा होने की ओर जल संसाधन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(2) श्री बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य, प्रदेश में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी में अनियमितता किये जाने की ओर खाद्य मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

10. याचिकाओं की प्रस्तुति

(1) श्री अजय चंद्राकर, सदस्य, जिला धमतरी अंतर्गत कुरूद में पॉलीटेक्निक कॉलेज खोलने,

(2) श्री सौरभ सिंह, सदस्य, जिला जांजगीर–चांपा अंतर्गत ग्राम डोंगरी में उपस्वास्थ्य केन्द्र भवन निर्माण करने,

(3) श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू, सदस्य, धमतरी विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत –

(i) धमतरी जिला अस्पताल में ट्रामा सेंटर स्वीकृत करने,

(ii) धमतरी जिला अस्पताल में आई.सी.यू. यूनिट स्वीकृत करने तथा

(iii) धमतरी जिला अस्पताल में डायलिसिस की सुविधा उपलब्ध कराने

के संबंध में याचिकाएं प्रस्तुत करेंगे।

11. वित्तीय वर्ष 2020–2021 के तृतीय अनुपूरक अनुमान का उपस्थापन

श्री भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री, वित्तीय वर्ष 2020–2021 के तृतीय अनुपूरक अनुमान का उपस्थापन करेंगे।

12. प्रतिवेदन पर चर्चा

छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के अठारहवें वार्षिक प्रतिवेदन (1 अप्रैल, 2018 से 31मार्च,2019 तक की अवधि के लिये) पर श्री अजय चंद्राकर, सदस्य चर्चा उठायेंगे।

चन्द्र शेखर गंगराड़े
प्रमुख सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा

रायपुर,
दिनांक 22 फरवरी,2021